<u>कार्यालय अध्यक्ष, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), डूंगरपुर (राज0)</u>

क्रमांक / विज्ञप्ति / 2014 / 03 दिनांकः–15–07–2014

::– विज्ञप्ति –::

डूंगरपुर न्यायक्षैत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्तमान में रिक्त कुल 14 (चौदह) पद एवं भविष्य में संभावित रिक्त होने वाले 02 पद, इस प्रकार कुल 16 पद राजस्थान सिविल सेवाऐ (पुनरक्षित वेतनमान) नियम, 2008 (9वें संशोधन नियम–2013) के अन्तर्गत रनिंग PB-1.5200.20200, ग्रेड–पे 1700 प्रतिमाह की वेतन श्रृंखला में अस्थाई रूप से रिक्त है। इन रिक्त पदों पर राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन संख्या एफ14(1)एफडी(रूल्स) / 2013–प्प दिनांक 28.06.2013 के अनुसार दो वर्ष की प्रोबेशन ट्रेनिंग अवधि तक नियत पारिश्रमिक रूपये 5400 / –प्रतिमाह पर भर्ती हेतु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम–1999 के प्रावधानों के अंतर्गत अभ्यर्थीगण से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है। चयनित अभ्यर्थीगण की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने के पश्चात् ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियमित वेतनश्रृंखला एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें।

उक्त पदों की संख्या अनंतिम (tentative) है व इसमें कमी एवं वृद्धि की जा सकती है तथा उक्त पद माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अन्र्तजिला स्थानान्तरण द्वारा भी भरे जा सकते है।

उक्त रिक्त पदों में से 07 पद अनुसूचित जनजाति के लिए व 01 पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिये आरक्षित है तथा शेष 08 पद अनारक्षित है। महिलाओं एवं विकलांग अभ्यर्थियों को उक्त संवर्गों में नियमानुसार आरक्षण देय होगा। सम्पूर्ण डूंगरपुर जिला घोषित अनुसूचित (उपयोजना) क्षेत्र के अन्तर्गत आने से राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग (क–2) की आज्ञा क्रमांक पं.13(20) कार्मिक / क–2 / 91 दि.24.08.98 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ13(20) / कार्मिक / क–2 / 91 पार्ट–प् दि.16.06.13 तथा भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ19(2)80–एल–1 दि.12.02.81 के अनुसार सम्पूर्ण डूॅगरपुर जिला घोषित अनुसूचित (उपयोजना) क्षैत्र के अन्तर्गत के आने से अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग की सभी उपलब्ध आरक्षित रिक्तियॉ एवं अनारक्षित रिक्तियां स्थानीय (डूॅगरपुर जिले के) अभ्यर्थियो से भरी जावेगी एवं इस जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के योग्य तथा उपयुक्त अभ्यर्थियों के अनुपलब्धता की स्थिति में घोषित अनुसूचित (उपयोजना) क्षैत्र के अन्य जिलो के योग्य अभ्यर्थियो से भरी जावेगी। शेष अनुसूचित जाति वर्ग की एवं अनारक्षित पदों की रिक्तियां डूॅगरपुर जिले के स्थानीय अभ्यर्थियों से भरी जावेगीं एवं स्थानीय योग्य एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों के अनुपलब्ध होने की स्थिति में अन्य क्षैत्र के अभ्यर्थियों से उक्त पद भरे जा सकेगें। इन पदों में महिला आवेदकों एवं निःशक्तजन / उत्कृष्ठ खिलाड़ी / भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

<u>अभ्यर्थी के लिये निम्न योग्यताएं होना आवश्यक हैः–</u>

1– **<u>आयुः–</u>**

आवेदक की आयु **<u>दिनांक 01–01–2015</u>** को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों एवं इस वर्ग की महिलाओं, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिक व राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी तथा केन्या, तंजानिया, युगांडा, जंजीबार से प्रत्यावर्तित होकर आये अभ्यर्थियो के लिये अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छुट देय होगी। जिसके लिए अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। विधवाओं व तलाकशुदा महिलाओं के मामले में भी आयु सीमा में नियमानुसार छुट देय होगी। विधवाओ के मामले में उन्हें अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा और तलाकशुदा महिलाओं के मामले में विवाह–विच्छेद का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2– **<u>शैक्षणिक योग्यता</u>** :–

उक्त पद पर आवेदन हेतु अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम **<u>पांचवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये</u>** एवं देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा को पढने एवं लिखने का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है।

3– **<u>आवेदन–पत्र</u>** :–

आवेदक को अपना आवेदन–पत्र सादे कागज पर सुस्पष्ट लेख में लिखा हुआ / टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। जिस पर आवेदक को दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करने होंगे। आवेदक अपना पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो, जो आवेदन की तिथि से छः माह से अधिक पुराना न हो, अपना हस्ताक्षरित आवेदन–पत्र पर चस्पा करेंगे। आवेदन–पत्र का प्रारूप इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा होगा, जिसके अनुरूप ही अभ्यर्थी को आवेदन करना होगा। आवेदन–पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होगी।

–2–

4– **<u>राष्ट्रीयता</u>** :–
आवेदक भारत का नागरिक हो या उक्त नियमो में वर्णित नियम–11 के अनुसार अर्हता रखता हो।

5– **<u>चरित्र</u>** :–
अभ्यर्थी को दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जो उसके रिश्तेदार न हो, द्वारा जारी किये हुए चरित्र प्रमाण–पत्र, जो आवेदन की तिथि से छः माह की अवधि के पूर्व के न हो, आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

6– **<u>विवाह एवं सन्तान</u>** :–
आवेदक का विवाह यदि दि.22.05.06 को या इसके बाद सम्पन्न हुआ है तो राज्य सरकार के परिपत्र दि.22.05.06 के अनुसार विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र अथवा प्रपत्र–6 (प्रारूप संलग्न) अनुसार तस्दीकशुदा शपथ–पत्र, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिन अभ्यर्थियो के दि.01.06.02 को या इसके पश्चात् तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है तथा विवाह के समय दहेज लिया है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। अतः विवाहित स्त्री/पुरूष अभ्यथी को आवेदन–पत्र के साथ इस आशय का घोषणा–पत्र (प्रारूप संलग्न) प्रस्तुत करना होगा कि उसके दि.01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् तीसरी या इससे अधिक सन्तान उत्पन्न नहीं हुई है एवं विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं किया है। एक से अधिक जीवित पत्नियो वाले पुरूष एवं पुनः शादीशुदा ऐसे पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी पहली पत्नी जीवित हो तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिसकी पत्नी पहले से जीवित है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। विवाहित को विवाह के समय दहेज नहीं लेने बाबत् एवं आपराधिक मामलें में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नही किये जाने बाबत् सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करने होगे।

7– **<u>शारीरिक योग्यता</u>** :–
आवेदक को शारीरिक एवं मानसिंक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिये तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक व मानसिंक दोष नहीं होना चाहिये, जो उसके कार्य निष्पादन में बाधक हो। नियुक्ति होने पर ड्यूटी ज्वोईन करने के समय अभ्यर्थी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8– **<u>पेन्शन योजना एवं स्थाई पारितोषण</u>**:–
राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ15(7)एफडी(रूल्स)97/दि.14.01.04 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.04 के बाद नियुक्ति पाने वाले वाले कर्मचारियो पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सभी नियम लागू होंगे तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ12(6)एफडी(रूल्स)05/ दि.13.03.06 के अन्तर्गत नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियो पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल एटेन्डेंट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि संबंधी सभी नये नियम लागू होंगे।

9– **<u>आवेदन की अन्तिम तिथि</u>** :–
आवेदन–पत्र **<u>दिनांक 07–08–2014</u> को सांय 5.00 पी.एम.** तक कार्यालय अध्यक्ष, चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी समिति (जिला एवं सेशन न्यायालय), डूंगरपुर को व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा पहूॅच जाने चाहिये। इस विज्ञप्ति के जारी होने से पूर्व एवं अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रो पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

10– **<u>जाति एवं मूल निवास प्रमाण–पत्र</u>** :–
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के आवेदकों को अपने आवेदन–पत्र के साथ नियमानुसार **सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र तथा** अनुसूचित (उपयोजना) क्षैत्र का मूल निवासी होने संबंधी **प्रमाण–पत्र** की सत्यापित प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी।

11– **<u>साक्षात्कार</u>** :–
आवेदन करने वाले जिन अभ्यथियों के आवेदन–पत्र सही एवं पूर्ण पाये जायेंगे, उनकी सूची **<u>दिनांक 18–08–2014</u>** को इस कार्यालय के नोटिस–बोर्ड पर चस्पा की जावेगी, जिसकी सूचना किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से नहीं दी जावेगी। योग्य पाये गये अभ्यर्थियों के साक्षात्कार **<u>जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर के कार्यालय में दिनांक 13–09–2014 को समय प्रातः 10.30 बजे से निरन्तरता में लिये जायेंगे</u>।** साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियो को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12– **<u>अंतिम परिणाम</u>** :–
साक्षात्कार पूर्ण होने के पश्चात् से 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावेगा।

–3–

13– <u>अन्य</u>:–

जिन आवेदकों के आवेदन–पत्र अपूर्ण होंगे एवं वांछित प्रमाण–पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां संलग्न नहीं होगी, उन आवेदन–पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा एवं इसकी सूचना पृथक से अभ्यर्थियो को नहीं दी जावेगी।

जिन प्रमाण–पत्रों की सत्यप्रतिलिपियां आवेदन–पत्र के साथ संलग्न की जावे, उनकी मूल प्रतियॉ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होगी।

किसी प्रकार की सिफारिश कराने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार/नियुक्ति के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

किन्हीं कारणों को साक्षात्कार की तिथि में यदि कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक होने पर परिवर्तित तिथि की सूचना इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी, पृथक से अभ्यर्थी को सूचना नहीं दी जावेगी।

14– <u>अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण–पत्रो की सत्यप्रतियां एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है</u> :–

1– जन्म तिथि संबंधी प्रमाण–पत्र की सत्यप्रतिलिपि ।
2– शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रो/अंकतालिका की सत्यप्रतिलिपि।
3– दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण–पत्र दिनांक सहित, जो कि छः माह से अधिक पुराने न हो।
4– जाति प्रमाण–पत्र की सत्यप्रतिलिपि।
5– विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि/शपथ–पत्र।
6– संतान संबंधी घोषणा–पत्र सत्यापित किया हुआ होना चाहिये।
7– मूल निवास/टीएसपी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।
8– विवाह के समय दहेज प्राप्त नहीं करने व दोषसिद्ध नहीं होने बाबत् शपथ–पत्र।

अध्यक्ष,
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
डूंगरपुर (राज0)

क्रमांक/स्था./2014/ दिनांकः–15–07–2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1) श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2) श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन), राज. उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर।
3) श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ...
4) श्रीमान जिला कलेक्टर, डूंगरपुर।
5) समस्त अधीनस्थ न्यायालय न्यायक्षैत्र, डूंगरपुर..
6) जिला नियोजन अधिकारी, नियोजन कार्यालय, डूंगरपुर।
7) जिला समाज कल्याण अधिकारी, डूंगरपुर।
8) जिला जन सम्पर्क अधिकारी, डूंगरपुर।
9) नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, डूंगरपुर।
10) संबंधित पत्रावली।

अध्यक्ष,
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
डूंगरपुर (राज0)

<u>**चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन–पत्र**</u>

आवेदक का नवीनतम स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज़ फोटो

1. आवेदक का पूरा नाम–..

2. पिता / पति का नाम– ....

3. जन्मतिथि (अंको में)– ....
   (शब्दों में)–...

4. राष्ट्रीयता– ....

5. आवेदक किस वर्ग का है– ....
   सामा. / अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / महिला / विधवा / परित्यक्ता / विकलांग / अन्य (प्रमाण पत्र संलग्न करे)

6. डाक का पूर्ण पता– ....
   ....
   ....

7. शैक्षणिक योग्यता– ....

8. निकटस्थ पुलिस स्टेशन का नाम– ....

9. वर्तमान में सेवारत है तो पद....................................नियुक्ति दिनांक ....
   एवं विभाग.. .

10. विवाहित / अविवाहित– ....
    (प्रमाण पत्र की प्रति / शपथ–पत्र संलग्न करे)

11. संलग्न दस्तावेज का विवरण
    1)
    2)
    3)
    4)
    5)
    6)
    7)
    8)

दिनांकः–

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता

प्रपत्र–6

शपथ–पत्र

(10 रू. के नॉनज्यूडि. स्टाम्प पर अभिप्रमाणित)

मैं...पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती...निवासी ....शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री..निवासी..के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीकरण लागू होने से पूर्व दिनांक ....को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री.. निवासी..के साथ दिनांक ....को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं...अविवाहित हूँ।

या

मैं..विधुर/विधवा/हूँ(पत्नी/पति श्री/श्रीमती...........................)

या

मैं तलाकशुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)।

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री..के साथ दिनांक....................... को सम्पन्न हुआ था।

स्थानः–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　हस्ताक्षर
दिनांकः–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　शपथकर्ता

....

घोषणा–पत्र

मैं..पुत्र/पुत्री श्री...निवासी .... घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई है तथा विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं किया है।

या

मैं...पुत्र/पुत्री श्री... निवासी ....घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ तथा विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करूंगा/करूंगी।

स्थानः–
दिनांकः–

हस्ताक्षर
घोषणाकर्ता